

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- एफ.10(36)आयु./2018

जयपुर, दिनांक:- 30.07.2019

—:: आदेश ::—

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों से निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1.	डॉ. मुनेश मीणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. चिकि. मालवीय नगर, गुरुद्वारा, जयपुर	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, खिर्दरपुर, अलवर

नोट:- उक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

आज्ञा से,
एस.डी.
(एच.एम.ढाका)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2018/ 3599-3608 दिनांक:- 30.07.2019
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ. 10(36) आयु./2018 दिनांक 30.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
4. प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, मालवीय नगर, गुरुद्वारा, जयपुर।
5. संबन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. मुनेश मीणा को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
6. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल कर सूचित करे।
7. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधी शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा सक्सैना)
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक